

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, छण्डपीठ रीवा जिला रीवा म. प्र.

प्रकरण क्रमांक:- / 2013



- 1- शिवप्रताप | सभीके पिता स्व० श्री अयोध्या प्रसाद
- 2- कमलेश प्रसाद
- 3- दिनेश प्रसाद
- 4- सुरेश प्रसाद
- 5- भारत कुमार, पिता शिवकुमार
- 6- श्रीमती अन्नपूर्णा देवी पत्नी शिवकुमार,

R. 3266-III/13

~~श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री अयोध्या प्रसाद~~

----- सभी निवासी ग्राम वेडुआ, तहसील रायपुर कर्चुलियान,

जिला-रीवा म.प्र.

----- निगरा कारगण

बिबु

E. V. Prasad
शिवकुमार
अयोध्या

- 1- मंगलदास
- 2- चन्द्रमणि प्रसाद पिता श्री बालमीक प्रसाद
- 3- अश्विनी पिता स्व० श्री सूर्यप्रसाद
- 4- ओमप्रकाश, सभी के पिता श्री सूर्यप्रसाद
- 5- राकेश कुमार,

24/8/17

प्रत्यर्थी क्र.-(2) - चन्द्रमणि प्रसाद मालवीय (फौत) बारिगण

(2) (क) दिनेश कुमार मालवीय तनय स्व. चन्द्रमणि प्र. मालवीय

(2) (ख) अनिल कुमार मालवीय तनय स्व. " " " "

प्रत्यर्थी क्र. - 8 फौत

प्रत्यर्थी क्र. (11) - फौत बारिगण

मान्. न्याया. डे
आदेश दिनांक
14-5-15 डे
आदेशानुसार
संसाक्षित

- 11 (क) उमाशंकर सोनी तनय स्व. रामानन्द सोनी
- 11 (ख) लक्ष्मण सोनी तनय स्व. रामानन्द सोनी
- 11 (ग) रामसुशक सोनी तनय स्व. रामानन्द सोनी
- 11 (घ) दिनेश सोनी तनय स्व. रामानन्द सोनी

सभी निवासी गण-ग्राम दोह. गोशॉव
तह. रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा
(म.प्र.)


(203)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक. R-3266-III / 13

जिला रीवा

शिवप्रसाद वगैरः / म0प्र0 शासन, चन्द्रमणि प्रसाद

(1)	(2)
19-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री ए0वी0 तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 20/अ-6/स्व0 निग0/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 22.07.13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>